

हायर एजुकेशन यूजीसी ने तैयार किया नए नियमों का ड्राफ्ट पीएचडी के कोर्स वर्क में 16 क्रेडिट अंक तक हासिल कर पाएंगे रिसर्च स्कॉलर्स

एजुकेशन रिपोर्टर | जयपुर

यूजीसी ने पीएचडी के लिए अब नए रेगुलेशंस का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत पीएचडी की 40 प्रतिशत सीटों पर एंट्रेस एग्जाम के जरिए और शेष 60 फीसदी सीटों पर यूजीसी नेट व जूनियर रिसर्च फेलोशिप की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को दाखिला मिल पाएगा। वर्तमान नियमों के अनुसार नेट व जेआरएफ की पात्रता रखने वालों को दाखिले में प्राथमिकता दी जाती है। यानी, अगर सीटें कम हैं और नेट व जेआरएफ पात्र उम्मीदवारों की संख्या सीटों के बराबर है, तो उन्हें ही एडमिशन में मात्र इंटरव्यू के माध्यम से प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में पीएचडी एंट्रेस का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। यूजीसी नए रेगुलेशंस को जल्द ही जारी कर सकती है। इसी प्रकार महिला उम्मीदवारों के लिए पीएचडी के दौरान 240 दिनों के मैटरनिटी अवकाश का भी प्रावधान किया जा सकता है। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट्स को शादी व अन्य कारणों से शहर बदलना पड़ता है तो उसका रिसर्च डेटा एडमिशन लेने वाले नए संस्थान में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पीएचडी में रिजर्व कैटेगरी के कोटे में भी बदलाव किया जा सकता है। कोर्स वर्क के दौरान भी स्कॉलर्स को कम से कम 12 क्रेडिट और अधिकतम 16 क्रेडिट अंक हासिल करने होंगे। अभी तक विश्वविद्यालय यूजीसी रेगुलेशंस 2018 के अनुसार पीएचडी करवाई जा रही थी।



ये रहेगी सुपरवाइजर बनने की योग्यता

यूनिवर्सिटी व कॉलेज के प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के कम से कम पांच रिसर्च पेपर पीयर रिव्यूड या फिर रेफर्ड जर्नल्स में प्रकाशित होने चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यह पात्रता तीन रिसर्च पेपर की रखी गई है। को-सुपरवाइजर संबंधित विभाग या अन्य विभाग का हो सकता है, लेकिन को-सुपरवाइजर संबंधित संस्थान या उससे जुड़े संस्थान का ही होना चाहिए।

छात्रों को कम से कम दो व अधिकतम छह साल में पूरी करनी होगी पीएचडी

यूजीसी पीएचडी की समय सीमा भी तय करेगी। स्कॉलर कम से कम दो साल में पीएचडी पूरी कर सकता है। वहीं अधिकतम समय सीमा छह साल की होगी। अधिकतम समय सीमा में छूट का दायरा संबंधित संस्थान तय कर सकेगा, लेकिन दो साल से अधिक की छूट कोई संस्थान नहीं दे पाएगा।